प्रकरण संख्या 80/2025
अनवान बलजिन्द्र सिह बनाम पानो देवी

पत्रावली प्रार्थीगण के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश रास्ता स्वीकृति का कथन किया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों व तहसीलदार संगरिया के पत्रांक 2025 दिनांक 13.10.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का भली–भांति अवलोकन किये जाने पर प्रार्थीगण की चक 9 ए.एम.पी. खाता संख्या 46/38 में दर्ज भूमि को कृषि कार्य के लिये आने जाने के लिये अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे से बिना कोई प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 9 ए. एम.पी. के प.न. 156/159 मु.न. 46 किला नं. 4 व 5 मे किलो के उतरी ओर पूर्व से पश्चिम की ओर दो बिस्वा चौड़ा व 38 बिस्वा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि यदि राज्य हित प्रभावित नही हो तो उक्त मंजूरशुद्दा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया